



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2637]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

No. 2637]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2897(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 776 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 22 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पण्डारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य $22^{\circ} 45'$ से 23° उत्तरी अक्षांश और $84^{\circ} 30'$ से $84^{\circ} 45'$ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह अभ्यारण्य संकटापन्न और महत्वपूर्ण जंगली पशुओं जैसे भालू, तेंदुआ, अजगर आदि के संरक्षण के लिए वर्ष 1990 में सृजित किया गया। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार सरकार की अधिसूचना सं 1168 तारीख 22 मार्च, 1990 द्वारा अधिसूचित किया गया था, यह 183.18 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है। यह संभागीय वन अधिकारी वन्यजीव संभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है जिसका मुख्यालय रांची में है।

और, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रचुर जैव विविधता पायी जाती है और यह छोटानागपुर पठार (6 डी) जैव-भौगोलिक अंचल के दक्षिणी पठार क्षेत्र में स्थित है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य में भालू प्रजाति महत्वपूर्ण है। इस संरक्षित क्षेत्र में कुछ मुख्य लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे तेंदुआ, पिसूरी, अजगर, साल आदि भी पाए जाते हैं। अभ्यारण्य क्षेत्र में कभी-कभी

प्रवासी हाथियों को भी देखा जाता है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य कई मौसमी और छोटी बारहमासी नदियों का आवाह क्षेत्र है। इस संरक्षित क्षेत्र में बारिश का पानी रुक जाता है जिससे भूजल जलभृतों को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। इस संरक्षित क्षेत्र के बनों के कारण न्यूनतम मृदा-अपरदन होने से यहां की नदियों और धाराओं में गाद जमा नहीं होती है। इस संरक्षित क्षेत्र में चैम्पियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार, विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं जैसे कि उत्तरी भारतीय आर्द्ध पर्णपाती वन, आर्द्ध और शुष्क प्रायद्वीप साल वन, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, ऐसे वन जो कि स्तनधारियों की 47 प्रजातियां, पश्चियों की 124 प्रजातियां और वनस्पति की 700 प्रजातियां की बड़ी संख्या के लिए उत्कृष्ट आवास हैं। इन प्रजातियों में सभी लुम्प्राय प्रजातियां जैसे कि भालू, तेंदुआ, अजगर, साल, प्रवासी एशियाई हाथी आदि शामिल हैं, जो सभी संकटापन्न प्रजातियां हैं। यह संरक्षित क्षेत्र स्थानीय जनता के आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता है। स्थानीय जनता 60% से अधिक लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, इसका बृहत् सौंदर्यात्मक महत्व है और वन्यजीव अनुसंधान और शिक्षा के लिए व्यापक दायरा भी इसमें संपन्न पारिस्थितिकी-पर्यटन में मदद करने की काफी क्षमताएं हैं।

और, यह अभ्यारण्य कई जलधाराओं और नदियों के लिए जलसंभर के रूप में कार्य करता है। यहां अधिकांश नदियां वरसाती और मौसमी हैं, और इसलिए ये गर्मियों में सूख जाती हैं। हालांकि, कुछ नदियों में वर्षभर थोड़ा सा पानी रहता है और ये जंगली पशुओं के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

और, इन संरक्षित क्षेत्रों को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती आबादी, कम शैक्षिक स्तर और वाणिज्यिक गतिविधियों से है जो वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से हानिकारक हैं। अनियमित क्रियाकलापों जैसे कि खनन, खदान और उद्योगों से न केवल पारिस्थितिकी पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वरना इनसे नजदीकी वनों का भी क्षरण होता है, और इस प्रकार इनसे लोगों के असावधानीवश प्रवेश जैसे सहगामी कारकों से वन्यजीव पर्यावासों को भी हानि पहुंचाती है।

और, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विविरित हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबंड राज्य गुमला और सिमदेगा जिला में पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर 350 मीटर से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 350 मीटर से 5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 1287.16 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपांच्छ । के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य के मानचित्र उपांच्छ—॥क और उपांच्छ—॥ख के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची उपांच्छ ॥॥ की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और संलग्न ग्राम **उपांबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय वस्तियों, बनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यक्तन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिपिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग-**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित हैं; और
- (v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की मूल्यना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों-**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के

निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाधान निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत् खनिज), पत्थर की खाने और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी

		जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्वाव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप

9.	वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

	मछली पालन।	
12.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोलट्री फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जौन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केवल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जौन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्वाव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्वाव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्वाव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सखती से निगरानी की जाएगी।

25.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप

30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोरैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति-.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संघटक	पदनाम
(i)	दक्षिण छोटानागपुर राजस्व प्रभाग का आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;

(vi)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(vii)	संबद्ध प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य;
(viii)	प्रभागीय वनाधिकारी, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रभारी	सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निवंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्धारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/69/2015-ई एस जेड-आर ई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपांध- ।**झारखंड राज्य में पालकोट बन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संबेदी जोन की सीमा का विवरण**

उत्तर: गुमला जिले के गुमला खंड के ग्राम राजस्व ग्रामों बेलगांव, काराउनदी, फाइसा, तारी, धुमारदीह, माहुगांव, बंकिर, सुरसुरीया, अमबूआ, राकमसेरा, बेला की उत्तरी सीमाएं गुमला नगर का समीपवर्ती एन एच 23।


पूर्व: पूर्वी सीमाओं के साथ गुमला जिले का बसिया ग्राम। राजस्व ग्रामों जामदंगा, तुकइ, सुरुजपुर, सोंमेर, पांथा, लालपुर, सोलांगविरा, केलगा, लुउंगा, पतुरा, किंदेरकेला, अगहारमा की उत्तरी पूर्वी सीमाएं।

दक्षिण: सिमदेगा जिले के कोलेबेरा खंड के गांव राजस्व ग्राम- भांवारपहरी, सारंगापानी, केदमतंर, फुलवारतंगर, बिरु, दारगुरदा, कोंबेरा, केवांददीह, खांगजालोया की दक्षिणी सीमा।

पश्चिम: शंख नदी के साथ लगी सीमा और छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर-राज्य सीमा राजस्व ग्रामों कोंदरा, कासीरा, मोकरा, रेंगोला, तुलमुंगा, अरांदा, राइदीह, लुंगा की पश्चिमी सीमा।


उपांच्च-॥क

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संबंधी जोन के पालकोट वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपांग-॥५

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संबंधी जोन का मानचित्र



सारणी क: पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1.	22° 48' 05"	84° 23' 34"
2.	22° 53' 10"	84° 26' 24"
3.	22° 57' 10"	84° 31' 08"
4.	22° 57' 08"	84° 39' 01"
5.	22° 57' 29"	84° 43' 40"
6.	22° 53' 38"	84° 45' 45"
7.	22° 47' 51"	84° 43' 50"
8.	22° 42' 47"	84° 39' 39"
9.	22° 45' 11"	84° 31' 03"
10.	22° 46' 30"	84° 26' 33"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जौन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु सं.	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1.	22° 55' 23"	84° 23' 50"
2.	23° 0' 15"	84° 30' 16"
3.	23° 02' 41"	84° 39' 07"
4.	22° 59' 14"	84° 45' 10"
5.	22° 53' 19"	84° 49' 04"
6.	22° 47' 17"	84° 45' 55"
7.	22° 40' 02"	84° 36' 42"
8.	22° 41' 57"	84° 30' 29"
9.	22° 44' 13"	84° 23' 24"
10.	22° 47' 59"	84° 18' 56"

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ पालकोट वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रशासन खंड	थाना सं	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6
1	कपुदीह	राईदिह	27	22° 58' 43.362" उ	84° 26' 56.005" पू
2	नवागर	राईदिह	32	22° 56' 22.369" उ	84° 27' 14.329" पू
3	मारदा	राईदिह	33	22° 56' 14.897" उ	84° 28' 55.706" पू
4	कुलमुंदा	राईदिह	34	22° 57' 41.771" उ	84° 30' 7.844" पू
5	सिकोइ	राईदिह	35	22° 59' 12.201" उ	84° 28' 53.634" पू
6	पकरटोली	राईदिह	36	23° 0' 0.802" उ	84° 30' 29.871" पू
7	सिलम	राईदिह	37	22° 58' 51.092" उ	84° 31' 12.304" पू
8	जरजट्टा	राईदिह	45	22° 53' 45.784" उ	84° 25' 50.670" पू
9	राइदीह	राईदिह	46	22° 55' 48.714" उ	84° 25' 17.527" पू
10	अरंदा	राईदिह	47	22° 55' 26.090" उ	84° 24' 30.953" पू
11	तुल्मुंगा	राईदिह	48	22° 54' 19.652" उ	84° 23' 44.677" पू
12	बिकेरा	राईदिह	49	22° 53' 7.661" उ	84° 24' 49.741" पू
13	रेंगोला	राईदिह	50	22° 52' 31.686" उ	84° 23' 27.258" पू
14	मोकरा	राईदिह	53	22° 51' 12.102" उ	84° 22' 2.647" पू
15	कासिरा	राईदिह	54	22° 50' 21.639" उ	84° 20' 16.157" पू
16	कोंकल	राईदिह	55	22° 50' 6.844" उ	84° 22' 3.001" पू
17	रामदेगा	राईदिह	56	22° 48' 57.246" उ	84° 21' 33.071" पू
18	तरालोया	राईदिह	57	22° 48' 3.629" उ	84° 22' 56.406" पू
19	बमल्केरा	राईदिह	59	22° 46' 37.886" उ	84° 22' 6.000" पू
20	कोंदरा	राईदिह	60	22° 47' 6.593" उ	84° 20' 12.899" पू
21	तुरीदीह	राईदिह	26	22° 59' 9.201" उ	84° 27' 31.312" पू
22	लुंगा	राईदिह	28	22° 58' 21.235" उ	84° 26' 13.630" पू
23	जापककोना	सिमदेगा	25	22° 44' 25.803" उ	84° 32' 58.278" पू
24	दांरगुरदा	सिमदेगा	57	22° 42' 39.489" उ	84° 31' 45.577" पू
25	कोनदेरा	सिमदेगा	55	22° 42' 16.530" उ	84° 30' 32.800" पू
26	फुलवाराटंगेर	सिमदेगा	65	22° 41' 22.763" उ	84° 35' 13.012" पू
27	बीरु	सिमदेगा	58	22° 42' 11.838" उ	84° 33' 23.982" पू
28	पुरना पानी	पकेइरदेंर	13	22° 45' 46.654" उ	84° 24' 17.487" पू
29	खांजलोया	पकैरदानर	14	22° 45' 8.063" उ	84° 26' 6.332" पू
30	केवांदीह	पकैरदानर	28	22° 44' 17.678" उ	84° 28' 34.333" पू
31	घगरा	पकैरदानर	26	22° 44' 18.001" उ	84° 31' 22.274" पू
32	भेलवोदीह	पकैरदानर	27	22° 43' 54.735" उ	84° 30' 35.458" पू

33	हरदीबेरा	पकैरदानर	10	22° 45' 1.588" उ	84° 22' 48.558" पू
34	बासतपुर	पकैरदानर	12	22° 44' 3.294" उ	84° 24' 49.725" पू
35	रेंगापानी	पकैरदानर	9	22° 44' 16.310" उ	84° 22' 35.630" पू
36	भुंदुपानी	पकैरदानर	58	22° 46' 32.932" उ	84° 28' 40.221" पू
37	ताकवा	पकैरदानर		22° 46' 1.023" उ	84° 27' 12.761" पू
38	पाहरगुरदा	पकैरदानर	56	22° 43' 3.302" उ	84° 30' 30.795" पू
39	सरीअपानी	कोलेबेरा	119	22° 42' 42.431" उ	84° 36' 59.109" पू
40	सांरंगापानी	कोलेबेरा	120	22° 42' 42.910" उ	84° 38' 53.020" पू
41	भानवारपाहर	कोलेबेरा	121	22° 42' 38.484" उ	84° 40' 40.454" पू
42	जमतोली	कोलेबेरा	122	22° 43' 49.736" उ	84° 42' 1.872" पू
43	लरबा	कोलेबेरा	123	22° 44' 33.289" उ	84° 43' 34.589" पू
44	जुरकेला	कोलेबेरा	131	22° 45' 29.504" उ	84° 43' 29.530" पू
45	अगरमा	कोलेबेरा	132	22° 46' 54.477" उ	84° 44' 38.113" पू
46	कदम्दतर	कोलेबेरा	118	22° 41' 40.675" उ	84° 37' 50.670" पू
47	सुरुजपुर	बसिया	118	22° 55' 35.300" उ	84° 46' 49.428" पू
48	लालपुर	बसिया	122	22° 52' 59.938" उ	84° 48' 50.034" पू
49	पांथा	बसिया	123	22° 53' 16.204" उ	84° 48' 1.668" पू
50	सोलांगबीर	बसिया	124	22° 52' 10.530" उ	84° 47' 20.619" पू
51	सीतोली	बसिया	125	22° 51' 31.127" उ	84° 46' 18.079" पू
52	सीरीबिरा	बसिया	126	22° 51' 21.210" उ	84° 47' 1.245" पू
53	रायकेरा	बसिया	138	22° 49' 10.817" उ	84° 44' 9.899" पू
54	मोरांग	बसिया	139	22° 49' 22.815" उ	84° 45' 9.327" पू
55	सरुदा	बसिया	142	22° 50' 35.656" उ	84° 45' 26.795" पू
56	तेतरा	बसिया	143	22° 52' 24.897" उ	84° 45' 42.001" पू
57	माजकेरा	बसिया	144	22° 53' 37.596" उ	84° 46' 23.154" पू
58	लायुकेरा	बसिया	145	22° 54' 31.033" उ	84° 46' 37.523" पू
59	नीनाइ	बसिया	146	22° 55' 25.357" उ	84° 45' 34.014" पू
60	कुलुसकेरा	बसिया	147	22° 56' 22.066" उ	84° 44' 54.483" पू
61	लुंगटु	बसिया	148	22° 57' 35.180" उ	84° 45' 15.893" पू
62	झोला	बसिया	149	22° 58' 49.140" उ	84° 45' 3.207" पू
63	सोंमेर	बसिया	119	22° 54' 53.120" उ	84° 48' 1.737" पू
64	जाम्देंग	बसिया	114	22° 57' 5.922" उ	84° 46' 22.706" पू
65	तेलेसेरा	बसिया	115	22° 56' 25.875" उ	84° 45' 57.640" पू
66	तुकड़	बसिया	116	22° 56' 24.002" उ	84° 47' 2.142" पू
67	मातरदेगा	बसिया	137	22° 48' 28.828" उ	84° 43' 45.804" पू
68	पतुरा	बसिया	135	22° 48' 27.573" उ	84° 46' 22.255" पू

69	केलगा	बसिया	105	22° 50' 35.000" उ	84° 47' 4.843" पू
70	बंतरीया	बसिया	150	22° 58' 39.645" उ	84° 46' 5.736" पू
71	किंदेरकेल	बसिया	20	22° 48' 2.902" उ	84° 45' 22.486" पू
72	रेवरा	बसिया	82	22° 47' 57.017" उ	84° 43' 27.752" पू
73	बेलगांव	गुमला	53	23° 1' 3.609" उ	84° 31' 1.420" पू
74	ससलाता	गुमला	54	23° 0' 22.436" उ	84° 31' 4.312" पू
75	जोरगा	गुमला	56	22° 59' 4.961" उ	84° 33' 39.865" पू
76	कराउनदी	गुमला	57	23° 1' 0.424" उ	84° 32' 9.727" पू
77	तेर्री	गुमला	61	23° 1' 12.651" उ	84° 33' 37.910" पू
78	बरींदा	गुमला	62	22° 59' 37.980" उ	84° 35' 4.411" पू
79	कोइनरा	गुमला	67	22° 59' 20.220" उ	84° 37' 23.827" पू
80	धुमेरदीह	गुमला	89	23° 1' 12.164" उ	84° 34' 34.150" पू
81	महुगांव	गुमला	91	23° 1' 12.013" उ	84° 37' 19.442" पू
82	सुरसुरीया	गुमला	93	23° 1' 0.310" उ	84° 38' 36.140" पू
83	गींद्रा	गुमला	94	22° 59' 52.794" उ	84° 38' 48.672" पू
84	बरगांव	गुमला	95	23° 0' 26.029" उ	84° 37' 19.749" पू
85	तइसेरा	गुमला	96	23° 0' 33.987" उ	84° 36' 26.590" पू
86	कोलाम्बी	गुमला	99	22° 58' 56.022" उ	84° 39' 46.617" पू
87	मुरकुद	गुमला	110	22° 59' 4.099" उ	84° 40' 50.289" पू
88	कोतेंगसेरा	गुमला	111	22° 59' 27.976" उ	84° 42' 21.981" पू
89	रेकमा	गुमला	112	22° 59' 17.485" उ	84° 43' 35.932" पू
90	कुतुअ	गुमला	113	22° 58' 5.872" उ	84° 43' 33.491" पू
91	कुतसी	गुमला		22° 59' 53.191" उ	84° 44' 11.671" पू
92	बनकिर	गुमला	92	23° 1' 27.105" उ	84° 37' 44.204" पू
93	धारहाउली	गुमला	100	23° 0' 51.515" उ	84° 40' 26.245" पू
94	अमबोअ	गुमला	101	23° 1' 26.828" उ	84° 39' 32.084" पू
95	लयंगा	गुमला	105	22° 49' 33.141" उ	84° 46' 52.741" पू
96	बेला	गुमला	107	23° 0' 34.452" उ	84° 43' 8.013" पू
97	सामसेरा	गुमला	108	23° 0' 50.206" उ	84° 42' 18.825" पू
98	तीर्रा	गुमला	55	23° 0' 3.001" उ	84° 32' 6.867" पू
99	चारकेतनगर	गुमला	98	22° 58' 25.913" उ	84° 38' 19.961" पू
100	राकमसेरा	गुमला		23° 0' 47.858" उ	84° 41' 27.548" पू
101	फासिया	गुमला		23° 1' 16.600" उ	84° 32' 48.767" पू

संलग्न ग्रामों की सूची:

1	कुलविर	पालकोट	पालकोट, 01	22° 57' 1.984" उ	84° 31' 55.783" पू
2	चिरौधिह	पालकोट	पालकोट, 02	22° 56' 50.895" उ	84° 32' 57.321" पू

3	गरिमा	पालकोट	पालकोट, 03	22° 57' 10.996" उ	84° 34' 23.541" पू
4	खारवादीह	पालकोट	पालकोट, 04	22° 58' 5.678" उ	84° 35' 9.975" पू
5	सेमरा	पालकोट	पालकोट, 05	22° 58' 13.318" उ	84° 36' 37.070" पू
6	हनस्दोइन	पालकोट	पालकोट, 06	22° 57' 12.455" उ	84° 37' 39.149" पू
7	उमरा	पालकोट	पालकोट, 07	22° 55' 35.267" उ	84° 36' 31.202" पू
8	कोलेंग	पालकोट	पालकोट, 08	22° 56' 5.102" उ	84° 34' 47.634" पू
9	कुरुम	पालकोट	पालकोट, 09	22° 54' 5.973" उ	84° 34' 54.078" पू
10	लितिग	पालकोट	पालकोट, 10	22° 54' 0.809" उ	84° 36' 16.925" पू
11	गोजा	पालकोट	पालकोट, 11	22° 54' 20.485" उ	84° 37' 8.454" पू
12	कसिरा	पालकोट	पालकोट, 12	22° 53' 25.766" उ	84° 36' 28.783" पू
13	गोन्मेर	पालकोट	पालकोट, 13	22° 52' 58.002" उ	84° 37' 9.090" पू
14	दारीपानी	पालकोट	पालकोट, 14	22° 52' 31.786" उ	84° 35' 50.251" पू
15	खारपानी	पालकोट	पालकोट, 15	22° 52' 48.212" उ	84° 33' 59.990" पू
16	दाहुपानी	पालकोट	पालकोट, 16	22° 53' 25.754" उ	84° 32' 53.038" पू
17	कटुवादीह	पालकोट	पालकोट, 17	22° 52' 32.357" उ	84° 31' 37.670" पू
18	लधुदेरा	पालकोट	पालकोट, 18	22° 53' 41.367" उ	84° 31' 1.505" पू
19	अखराकोना	पालकोट	पालकोट, 19	22° 53' 15.623" उ	84° 30' 20.964" पू
20	अरवाडीह	पालकोट	पालकोट, 20	22° 52' 8.109" उ	84° 30' 31.571" पू
21	भोरातोलि	पालकोट	पालकोट, 21	22° 52' 3.540" उ	84° 28' 52.962" पू
22	केरातोलि	पालकोट	पालकोट, 22	22° 50' 36.587" उ	84° 29' 6.468" पू
23	सानिदीह	पालकोट	पालकोट, 23	22° 50' 22.160" उ	84° 30' 49.648" पू
24	कंदेरबेरा	पालकोट	पालकोट, 24	22° 51' 2.558" उ	84° 31' 47.827" पू
25	सुन्देरदीह	पालकोट	पालकोट, 25	22° 51' 18.622" उ	84° 32' 40.420" पू
26	कोइनार टंड	पालकोट	पालकोट, 26	22° 49' 58.883" उ	84° 33' 13.482" पू
27	बजरा	पालकोट	पालकोट, 27	22° 51' 20.636" उ	84° 33' 53.309" पू
28	राकेडेगा	पालकोट	पालकोट, 28	22° 50' 38.956" उ	84° 35' 6.160" पू
29	लोट्वा	पालकोट	पालकोट, 29	22° 52' 1.453" उ	84° 35' 12.370" पू
30	तेतर तोली	पालकोट	पालकोट, 30	22° 51' 35.593" उ	84° 36' 52.667" पू
31	केसिदिह	पालकोट	पालकोट, 31	22° 50' 23.480" उ	84° 37' 7.441" पू
32	जलदेगा	पालकोट	पालकोट, 32	22° 50' 33.117" उ	84° 36' 22.844" पू
33	कोनदेकेरा	पालकोट	पालकोट, 33	22° 49' 48.338" उ	84° 36' 21.266" पू
34	पिथार तोली	पालकोट	पालकोट, 34	22° 49' 49.615" उ	84° 34' 45.191" पू
35	सिजांग	पालकोट	पालकोट, 35	22° 48' 46.146" उ	84° 35' 14.298" पू
36	बिलिंगबिरा	पालकोट	पालकोट, 36	22° 48' 36.855" उ	84° 31' 36.124" पू
37	डोमबेरा	पालकोट	पालकोट, 37	22° 45' 19.870" उ	84° 31' 57.970" पू
38	सर्लबेरा	पालकोट	पालकोट, 38	22° 46' 6.776" उ	84° 34' 33.271" पू

39	बनाइ देगा	पालकोट	पालकोट, 39	22° 44' 25.057" उ	84° 36' 40.435" पू
40	ओविरा	पालकोट	पालकोट, 40	22° 46' 15.785" उ	84° 36' 55.369" पू
41	भुसुंदीह तोइल	पालकोट	पालकोट, 41	22° 47' 18.943" उ	84° 36' 43.866" पू
42	कुलुकेरा	पालकोट	पालकोट, 42	22° 48' 33.796" उ	84° 37' 58.202" पू
43	पानीसानी	पालकोट	पालकोट, 43	22° 49' 34.384" उ	84° 37' 49.953" पू
44	कुर्रा	पालकोट	पालकोट, 44	22° 50' 45.208" उ	84° 37' 58.535" पू
45	बंगरू	पालकोट	पालकोट, 45	22° 50' 28.802" उ	84° 39' 37.235" पू
46	दाम्कारा	पालकोट	पालकोट, 46	22° 48' 28.734" उ	84° 39' 6.739" पू
47	पोजेंगा	पालकोट	पालकोट, 47	22° 48' 17.385" उ	84° 40' 8.946" पू
48	झिकिरमा	पालकोट	पालकोट, 48	22° 45' 51.894" उ	84° 39' 18.514" पू
49	सोलगा	पालकोट	पालकोट, 49	22° 44' 47.122" उ	84° 41' 2.952" पू
50	ओरवेंगा	पालकोट	पालकोट, 50	22° 45' 43.989" उ	84° 41' 16.113" पू
51	तपकरा	पालकोट	पालकोट, 51	22° 46' 49.934" उ	84° 41' 46.054" पू
52	खटगांव	पालकोट	पालकोट, 52	22° 46' 17.886" उ	84° 43' 14.761" पू
53	बरदीह	पालकोट	पालकोट, 54	22° 47' 44.769" उ	84° 42' 32.344" पू
54	लोदहमा	पालकोट	पालकोट, 55	22° 48' 7.673" उ	84° 41' 7.590" पू
55	डेओगोना	पालकोट	पालकोट, 56	22° 48' 51.861" उ	84° 42' 1.728" पू
56	जेना	पालकोट	पालकोट, 57	22° 49' 18.795" उ	84° 43' 7.890" पू
57	सतखारी	पालकोट	पालकोट, 58	22° 50' 51.760" उ	84° 43' 54.482" पू
58	रानगोला	पालकोट	पालकोट, 59	22° 50' 3.981" उ	84° 42' 17.425" पू
59	पटसेरा	पालकोट	पालकोट, 60	22° 50' 51.070" उ	84° 41' 13.858" पू
60	कोइयांजाली	पालकोट	पालकोट, 61	22° 51' 2.226" उ	84° 40' 26.197" पू
61	नाथपुर	पालकोट	पालकोट, 62	22° 52' 18.109" उ	84° 42' 23.040" पू
62	पालकोट	पालकोट	पालकोट, 63	22° 53' 20.823" उ	84° 39' 2.092" पू
63	बघमा	पालकोट	पालकोट, 64	22° 56' 23.901" उ	84° 38' 58.471" पू
64	गुरगुरा	पालकोट	पालकोट, 65	22° 56' 29.941" उ	84° 40' 9.010" पू
65	मरदा	पालकोट	पालकोट, 66	22° 57' 22.014" उ	84° 41' 11.111" पू
66	अलेंगकेरा	पालकोट	पालकोट, 67	22° 55' 17.316" उ	84° 40' 55.734" पू
67	कइम्बा	पालकोट	पालकोट, 68	22° 54' 17.579" उ	84° 42' 3.020" पू
68	बगसेरा	पालकोट	पालकोट, 69	22° 53' 50.482" उ	84° 43' 23.346" पू
69	तेंगरी	पालकोट	पालकोट, 70	22° 54' 35.776" उ	84° 44' 27.994" पू
70	बागेसेरा (भाग)	पालकोट	पालकोट, 71	22° 56' 15.155" उ	84° 43' 1.505" पू
71	मलाई	पालकोट	पालकोट, 72	22° 57' 22.239" उ	84° 42' 27.422" पू
72	तिरा	पालकोट	पालकोट, 73	22° 58' 38.436" उ	84° 41' 47.893" पू
73	लोधम कोटाटोलि	राईदिह	राईदिह, 38	22° 58' 14.601" उ	84° 32' 59.685" पू
74	लोवकि	राईदिह	राईदिह, 39	22° 55' 49.379" उ	84° 31' 11.704" पू

75	जमगई	राईदिह	राईदिह,40	22° 54' 46.370" उ	84° 32' 2.473" पू
76	पिवो	राईदिह	राईदिह,41	22° 55' 32.084" उ	84° 29' 51.972" पू
77	करंग	राईदिह	राईदिह,42	22° 53' 49.806" उ	84° 29' 32.102" पू
78	सानिअकोना	राईदिह	राईदिह,43	22° 53' 54.137" उ	84° 28' 23.240" पू
79	सलकाया	राईदिह	राईदिह,44	22° 52' 38.169" उ	84° 27' 19.891" पू
80	सुरसंग	राईदिह	राईदिह,51	22° 51' 15.924" उ	84° 25' 49.336" पू
81	कोबजा	राईदिह	राईदिह,52	22° 49' 53.095" उ	84° 24' 51.166" पू
82	रामजा	राईदिह	राईदिह,58	22° 47' 47.505" उ	84° 24' 30.040" पू
83	करमुखि	सिमदेगा	सिमदेगा,15	22° 46' 11.904" उ	84° 25' 52.944" पू
84	असांवेरा	सिमदेगा	सिमदेगा,17	22° 47' 27.796" उ	84° 26' 58.494" पू
85	गोडोलोपानी	सिमदेगा	सिमदेगा,18	22° 48' 28.189" उ	84° 28' 3.276" पू
86	कटासारू	सिमदेगा	सिमदेगा,19	22° 49' 32.319" उ	84° 28' 30.826" पू
87	लोलेन्गा	सिमदेगा	सिमदेगा,21	22° 48' 24.184" उ	84° 29' 45.541" पू
88	कुरुसकेला	सिमदेगा	सिमदेगा,23	22° 46' 35.001" उ	84° 30' 37.123" पू
89	सेरलोंगा	पकैरदानर	सिमदेगा,24	22° 46' 45.720" उ	84° 32' 40.788" पू
90	सिरुपारधिअ	पकैरदानर	सिमदेगा,20	22° 48' 28.570" उ	84° 29' 11.160" पू

उपाबंध V

की गई कार्यवाई की रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय विंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपावद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यवहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । व्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (व्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (व्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2897(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 776(E) dated the 21st February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd February, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Palkot Wildlife Sanctuary lies between latitudes 22°45' North to 23° North and 84°30' East to 84°45' East Longitudes. This Sanctuary was constituted in the year 1990 for the conservation of endangered and valuable wild animals such as bear, leopard, pythons etc. Palkot Wildlife Sanctuary was notified *vide* Government of Bihar notification No. 1168 dated 22nd March, 1990, covering an area of 183.18 sq. km. This Sanctuary is under the administrative control of Divisional Forest Officer, Wildlife Division, with his head quarters at Ranchi;

AND WHEREAS, Palkot Wildlife Sanctuary is located in Deccan Plateau province of Chhotanagpur Plateau (6D) Biogeographic zone and it has a wide range of biodiversity. Bear is the species of vital importance in Palkot Wildlife Sanctuary. Some of the most endangered species like leopard, mouse deer, python, pangolin, etc. are also found in this protected area. Migratory elephants are also occasionally seen in the Sanctuary area. Palkot Wildlife Sanctuary forms the catchment of many seasonal and small perennial rivers. Protected area intercepts rainfall and help recharge ground water aquifers. The forests of this protected area protect rivers and streams against siltation by minimizing soil erosion. This protected area is home to diverse types of forests—Northern Indian Moist Deciduous Forest, Moist and Dry Peninsular Sal Forest, Northern Dry Mixed Deciduous Forest, Aegle Forest as per Champion and Seth's classification, which are excellent habitat for significant populations of 47 species of mammals, 124 species of birds and 700 species of flora, including bear, leopard, python, pangolin, migratory Asian elephants, etc., which are all endangered species. This protected area supports the local population, of which more than 60% are Scheduled Tribes, by providing them with means of livelihood. It has great aesthetic value and scope for wildlife research and education, and has tremendous potential to support thriving eco-tourism;

AND WHEREAS, the Sanctuary serves as the watershed for a number of streams and rivers. Most of the streams are rain fed and seasonal and, therefore, dry up in summer. However, few rivers carry a little water throughout the year and are important sources of water for wild animals;

AND WHEREAS, The most important threats to these protected areas emanate from the increasing population, low educational levels and the commercial activities detrimental to the conservation of wildlife and other natural resources. Unregulated activities, such as mining, quarry and industries not only have a direct adverse impact on the ecology but also cause degradation of neighboring forests, and thus that of the wildlife habitats, through concomitant factors like inadvertent influx of people;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Palkot Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 350 meters to 5 kilometres around the boundary of Palkot Wildlife Sanctuary, in Gumla and Simdega districts in the State of Jharkhand as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 350 meters to 5 kilometres around the boundary of Palkot Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 1287.16 square kilometres.
 (2) The boundary description of Palkot Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 (3) The maps of the Palkot Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB**.

- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Palkot Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone and enclave villages along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Jharkhand State Pollution Control Board; and
 - (xii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.**- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee,

and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
- the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;
- (ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	resorts.	<p>one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
10.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.

C. Promoted Activities

30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Commissioner of South Chhotanagpur Revenue Division	Chairman, ex officio;
(ii)	Representative of State Pollution Control Board	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	A representative nominated by the Forest and Environment Department of Jharkhand	Member;
(v)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	Concerned territorial Divisional Forest Officer	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Incharge of the Palkot Wildlife Sanctuary	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/69/2015-ESZ-RE]


Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**BOUNDARY DESCRIPTION OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN
THE STATE JHARKHAND**

- NORTH:** Villages of Gumla Block of Gumla Dist. Northern Boundaries of Revenue Villages- Belgaon, Karaundi, Phaisa , Tarri, Dumardih, Mahugaon, Bankir, Sursuria, Amboa, Rakamsena, Bela. As well as NH 23 adjoining to Gumla Town.
- EAST:** Villages of Basia of Gumla Dist. Along the Eastern boundaries. The North Eastern Boundaries of revenue village – Jamdang, Tukai, Surujpur, Sonmer, Pantha, Lalpur, Solangbira, Kelga, Launga, Patura, Kindarkela, Agharma.
- SOUTH:** Villages of Kolebera Block of Simdega Dist. Southern boundary of the revenue Village – Bhanwarpahari, Sarangapani, Kadamtanr, Phulwartangar, Biru, Danrgurda, Konbera, Kewanddih, Khangajaloya.
- WEST:** Along the river shankh and the interstate boundary of Chattisgarh state western boundary of the revenue boundaries – Kondra, Kasira, Mokra, Rengola, Tulmunga, Aranda, Raidih, Lunga.


ANNEXURE- IIA

MAP OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY

Point No.	Latitude (N)	Longitude (E)
1.	22° 48' 05"	84° 23' 34"
2.	22° 53' 10"	84° 26' 24"
3.	22° 57' 10"	84° 31' 08"
4.	22° 57' 08"	84° 39' 01"
5.	22° 57' 29"	84° 43' 40"
6.	22° 53' 38"	84° 45' 45"
7.	22° 47' 51"	84° 43' 50"
8.	22° 42' 47"	84° 39' 39"
9.	22° 45' 11"	84° 31' 03"
10.	22° 46' 30"	84° 26' 33"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point No.	Latitude (N)	Longitude (E)
1.	22° 55' 23"	84° 23' 50"
2.	23° 0' 15"	84° 30' 16"
3.	23° 02' 41"	84° 39' 07"
4.	22° 59' 14"	84° 45' 10"
5.	22° 53' 19"	84° 49' 04"
6.	22° 47' 17"	84° 45' 55"
7.	22° 40' 02"	84° 36' 42"
8.	22° 41' 57"	84° 30' 29"
9.	22° 44' 13"	84° 23' 24"
10.	22° 47' 59"	84° 18' 56"

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF PALKOT WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Name of Village	Adm. Block	Thana No.	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6
1	Kapudih	Raidih	27	22° 58' 43.362" N	84° 26' 56.005" E
2	Nawagarh	Raidih	32	22° 56' 22.369" N	84° 27' 14.329" E
3	Marda	Raidih	33	22° 56' 14.897" N	84° 28' 55.706" E
4	Kulmunda	Raidih	34	22° 57' 41.771" N	84° 30' 7.844" E
5	Sikoi	Raidih	35	22° 59' 12.201" N	84° 28' 53.634" E
6	Pakartoli	Raidih	36	23° 0' 0.802" N	84° 30' 29.871" E
7	Silam	Raidih	37	22° 58' 51.092" N	84° 31' 12.304" E
8	Jarjatta	Raidih	45	22° 53' 45.784" N	84° 25' 50.670" E
9	Raidih	Raidih	46	22° 55' 48.714" N	84° 25' 17.527" E
10	Aranda	Raidih	47	22° 55' 26.090" N	84° 24' 30.953" E
11	Tulmunga	Raidih	48	22° 54' 19.652" N	84° 23' 44.677" E
12	Birkera	Raidih	49	22° 53' 7.661" N	84° 24' 49.741" E
13	Rengola	Raidih	50	22° 52' 31.686" N	84° 23' 27.258" E

14	Mokra	Raidih	53	22° 51' 12.102" N	84° 22' 2.647" E
15	Kasira	Raidih	54	22° 50' 21.639" N	84° 20' 16.157" E
16	Konkel	Raidih	55	22° 50' 6.844" N	84° 22' 3.001" E
17	Ramdega	Raidih	56	22° 48' 57.246" N	84° 21' 33.071" E
18	Taraloya	Raidih	57	22° 48' 3.629" N	84° 22' 56.406" E
19	Bamalkera	Raidih	59	22° 46' 37.886" N	84° 22' 6.000" E
20	Kondra	Raidih	60	22° 47' 6.593" N	84° 20' 12.899" E
21	Turidih	Raidih	26	22° 59' 9.201" N	84° 27' 31.312" E
22	Lunga	Raidih	28	22° 58' 21.235" N	84° 26' 13.630" E
23	Japkakona	Simdega	25	22° 44' 25.803" N	84° 32' 58.278" E
24	Danrgurda	Simdega	57	22° 42' 39.489" N	84° 31' 45.577" E
25	Konbera	Simdega	55	22° 42' 16.530" N	84° 30' 32.800" E
26	Phulwaratanger	Simdega	65	22° 41' 22.763" N	84° 35' 13.012" E
27	Biru	Simdega	58	22° 42' 11.838" N	84° 33' 23.982" E
28	Purna pani	Pakaerdanr	13	22° 45' 46.654" N	84° 24' 17.487" E
29	Khanjaloya	Pakaerdanr	14	22° 45' 8.063" N	84° 26' 6.332" E
30	Kewanddih	Pakaerdanr	28	22° 44' 17.678" N	84° 28' 34.333" E
31	Ghagra	Pakaerdanr	26	22° 44' 18.001" N	84° 31' 22.274" E
32	Bhelwodih	Pakaerdanr	27	22° 43' 54.735" N	84° 30' 35.458" E
33	Hardibera	Pakaerdanr	10	22° 45' 1.588" N	84° 22' 48.558" E
34	Basatpur	Pakaerdanr	12	22° 44' 3.294" N	84° 24' 49.725" E
35	Rengapani	Pakaerdanr	9	22° 44' 16.310" N	84° 22' 35.630" E
36	Bhundupani	Pakaerdanr	58	22° 46' 32.932" N	84° 28' 40.221" E
37	Takwa	Pakaerdanr		22° 46' 1.023" N	84° 27' 12.761" E
38	Pahargurda	Pakaerdanr	56	22° 43' 3.302" N	84° 30' 30.795" E
39	Sariapani	Kolebera	119	22° 42' 42.431" N	84° 36' 59.109" E
40	Sarangapani	Kolebera	120	22° 42' 42.910" N	84° 38' 53.020" E
41	Bhanwarpahar	Kolebera	121	22° 42' 38.484" N	84° 40' 40.454" E
42	Jamtoli	Kolebera	122	22° 43' 49.736" N	84° 42' 1.872" E
43	Larba	Kolebera	123	22° 44' 33.289" N	84° 43' 34.589" E
44	Jurkela	Kolebera	131	22° 45' 29.504" N	84° 43' 29.530" E
45	Agarma	Kolebera	132	22° 46' 54.477" N	84° 44' 38.113" E
46	Kadamtnr	Kolebera	118	22° 41' 40.675" N	84° 37' 50.670" E
47	Surujpur	Basia	118	22° 55' 35.300" N	84° 46' 49.428" E
48	Lalpur	Basia	122	22° 52' 59.938" N	84° 48' 50.034" E
49	Pantha	Basia	123	22° 53' 16.204" N	84° 48' 1.668" E
50	Solangbir	Basia	124	22° 52' 10.530" N	84° 47' 20.619" E
51	Saitoli	Basia	125	22° 51' 31.127" N	84° 46' 18.079" E
52	Siribira	Basia	126	22° 51' 21.210" N	84° 47' 1.245" E
53	Raykera	Basia	138	22° 49' 10.817" N	84° 44' 9.899" E
54	Morang	Basia	139	22° 49' 22.815" N	84° 45' 9.327" E

55	Saruda	Basia	142	22° 50' 35.656" N	84° 45' 26.795" E
56	Tetra	Basia	143	22° 52' 24.897" N	84° 45' 42.001" E
57	Majkera	Basia	144	22° 53' 37.596" N	84° 46' 23.154" E
58	Laukera	Basia	145	22° 54' 31.033" N	84° 46' 37.523" E
59	Ninai	Basia	146	22° 55' 25.357" N	84° 45' 34.014" E
60	Kuluskera	Basia	147	22° 56' 22.066" N	84° 44' 54.483" E
61	Lungtu	Basia	148	22° 57' 35.180" N	84° 45' 15.893" E
62	Jolo	Basia	149	22° 58' 49.140" N	84° 45' 3.207" E
63	Sonmer	Basia	119	22° 54' 53.120" N	84° 48' 1.737" E
64	Jamdang	Basia	114	22° 57' 5.922" N	84° 46' 22.706" E
65	Talesera	Basia	115	22° 56' 25.875" N	84° 45' 57.640" E
66	Tukai	Basia	116	22° 56' 24.002" N	84° 47' 2.142" E
67	Matardega	Basia	137	22° 48' 28.828" N	84° 43' 45.804" E
68	Patura	Basia	135	22° 48' 27.573" N	84° 46' 22.255" E
69	Kelga	Basia	105	22° 50' 35.000" N	84° 47' 4.843" E
70	Bantariya	Basia	150	22° 58' 39.645" N	84° 46' 5.736" E
71	Kinderkel	Basia	20	22° 48' 2.902" N	84° 45' 22.486" E
72	Rewra	Basia	82	22° 47' 57.017" N	84° 43' 27.752" E
73	Belgaon	Gumla	53	23° 1' 3.609" N	84° 31' 1.420" E
74	Haslata	Gumla	54	23° 0' 22.436" N	84° 31' 4.312" E
75	Jorga	Gumla	56	22° 59' 4.961" N	84° 33' 39.865" E
76	Karaundi	Gumla	57	23° 1' 0.424" N	84° 32' 9.727" E
77	Tarri	Gumla	61	23° 1' 12.651" N	84° 33' 37.910" E
78	Brinda	Gumla	62	22° 59' 37.980" N	84° 35' 4.411" E
79	Koinara	Gumla	67	22° 59' 20.220" N	84° 37' 23.827" E
80	Dhumardih	Gumla	89	23° 1' 12.164" N	84° 34' 34.150" E
81	Mahugaon	Gumla	91	23° 1' 12.013" N	84° 37' 19.442" E
82	Sursuria	Gumla	93	23° 1' 0.310" N	84° 38' 36.140" E
83	Gindra	Gumla	94	22° 59' 52.794" N	84° 38' 48.672" E
84	Bargaon	Gumla	95	23° 0' 26.029" N	84° 37' 19.749" E
85	Taisera	Gumla	96	23° 0' 33.987" N	84° 36' 26.590" E
86	Kolambi	Gumla	99	22° 58' 56.022" N	84° 39' 46.617" E
87	Murkunda	Gumla	110	22° 59' 4.099" N	84° 40' 50.289" E
88	Kotengsera	Gumla	111	22° 59' 27.976" N	84° 42' 21.981" E
89	Rekma	Gumla	112	22° 59' 17.485" N	84° 43' 35.932" E
90	Kutua	Gumla	113	22° 58' 5.872" N	84° 43' 33.491" E
91	Kutasi	Gumla		22° 59' 53.191" N	84° 44' 11.671" E
92	Bankir	Gumla	92	23° 1' 27.105" N	84° 37' 44.204" E
93	Dharhaul	Gumla	100	23° 0' 51.515" N	84° 40' 26.245" E
94	Amboa	Gumla	101	23° 1' 26.828" N	84° 39' 32.084" E

95	Launga	Gumla	105	22° 49' 33.141" N	84° 46' 52.741" E
96	Bela	Gumla	107	23° 0' 34.452" N	84° 43' 8.013" E
97	Samsera	Gumla	108	23° 0' 50.206" N	84° 42' 18.825" E
98	Tirra	Gumla	55	23° 0' 3.001" N	84° 32' 6.867" E
99	Charkatangar	Gumla	98	22° 58' 25.913" N	84° 38' 19.961" E
100	Rakamsera	Gumla		23° 0' 47.858" N	84° 41' 27.548" E
101	Phasia	Gumla		23° 1' 16.600" N	84° 32' 48.767" E

LIST OF ENCLAVE VILLAGE:

1	Kulbir	Palkot	Palkot, 01	22° 57' 1.984" N	84° 31' 55.783" E
2	Chirodih	-do-	Palkot, 02	22° 56' 50.895" N	84° 32' 57.321" E
3	Garima	-do-	Palkot, 03	22° 57' 10.996" N	84° 34' 23.541" E
4	Kharwa dih	-do-	Palkot, 04	22° 58' 5.678" N	84° 35' 9.975" E
5	Semra	-do-	Palkot, 05	22° 58' 13.318" N	84° 36' 37.070" E
6	Hanasdoin	-do-	Palkot, 06	22° 57' 12.455" N	84° 37' 39.149" E
7	Umra	-do-	Palkot, 07	22° 55' 35.267" N	84° 36' 31.202" E
8	Koleng	-do-	Palkot, 08	22° 56' 5.102" N	84° 34' 47.634" E
9	Kurum	-do-	Palkot, 09	22° 54' 5.973" N	84° 34' 54.078" E
10	Litig	-do-	Palkot, 10	22° 54' 0.809" N	84° 36' 16.925" E
11	Goja	-do-	Palkot, 11	22° 54' 20.485" N	84° 37' 8.454" E
12	Kasira	-do-	Palkot, 12	22° 53' 25.766" N	84° 36' 28.783" E
13	Gonmer	-do-	Palkot, 13	22° 52' 58.002" N	84° 37' 9.090" E
14	Daripani	-do-	Palkot, 14	22° 52' 31.786" N	84° 35' 50.251" E
15	Kharpansi	-do-	Palkot, 15	22° 52' 48.212" N	84° 33' 59.990" E
16	Dahupani	-do-	Palkot, 16	22° 53' 25.754" N	84° 32' 53.038" E
17	Katuwadih	-do-	Palkot, 17	22° 52' 32.357" N	84° 31' 37.670" E
18	Ladhudera	-do-	Palkot, 18	22° 53' 41.367" N	84° 31' 1.505" E
19	Akhrokona	-do-	Palkot, 19	22° 53' 15.623" N	84° 30' 20.964" E
20	Arwadih	-do-	Palkot, 20	22° 52' 8.109" N	84° 30' 31.571" E
21	Bhoratoli	-do-	Palkot, 21	22° 52' 3.540" N	84° 28' 52.962" E
22	Keratoli	-do-	Palkot, 22	22° 50' 36.587" N	84° 29' 6.468" E
23	Sanidih	-do-	Palkot, 23	22° 50' 22.160" N	84° 30' 49.648" E
24	Kanderbera	-do-	Palkot, 24	22° 51' 2.558" N	84° 31' 47.827" E
25	Sunderdih	-do-	Palkot, 25	22° 51' 18.622" N	84° 32' 40.420" E
26	Koinar tand	-do-	Palkot, 26	22° 49' 58.883" N	84° 33' 13.482" E
27	Bajra	-do-	Palkot, 27	22° 51' 20.636" N	84° 33' 53.309" E
28	Rokedega	-do-	Palkot, 28	22° 50' 38.956" N	84° 35' 6.160" E
29	Lotwa	-do-	Palkot, 29	22° 52' 1.453" N	84° 35' 12.370" E
30	Tetar toli	-do-	Palkot, 30	22° 51' 35.593" N	84° 36' 52.667" E
31	Kesidih	-do-	Palkot, 31	22° 50' 23.480" N	84° 37' 7.441" E
32	Jaldega	-do-	Palkot, 32	22° 50' 33.117" N	84° 36' 22.844" E
33	Kondekera	-do-	Palkot, 33	22° 49' 48.338" N	84° 36' 21.266" E
34	Pithar toli	-do-	Palkot, 34	22° 49' 49.615" N	84° 34' 45.191" E
35	Sijang	-do-	Palkot, 35	22° 48' 46.146" N	84° 35' 14.298" E
36	Bilingbiria	Palkot	Palkot, 36	22° 48' 36.855" N	84° 31' 36.124" E
37	Dombera	-do-	Palkot, 37	22° 45' 19.870" N	84° 31' 57.970" E

38	Sarubera	-do-	Palkot, 38	22° 46' 6.776" N	84° 34' 33.271" E
39	Banai dega	-do-	Palkot, 39	22° 44' 25.057" N	84° 36' 40.435" E
40	Obira	-do-	Palkot, 40	22° 46' 15.785" N	84° 36' 55.369" E
41	Bhusundih toli	-do-	Palkot, 41	22° 47' 18.943" N	84° 36' 43.866" E
42	Kulukera	-do-	Palkot, 42	22° 48' 33.796" N	84° 37' 58.202" E
43	Panisani	-do-	Palkot, 43	22° 49' 34.384" N	84° 37' 49.953" E
44	Kurra	-do-	Palkot, 44	22° 50' 45.208" N	84° 37' 58.535" E
45	Bangru	-do-	Palkot, 45	22° 50' 28.802" N	84° 39' 37.235" E
46	Damkara	-do-	Palkot, 46	22° 48' 28.734" N	84° 39' 6.739" E
47	Pojenga	-do-	Palkot, 47	22° 48' 17.385" N	84° 40' 8.946" E
48	Jhikirma	-do-	Palkot, 48	22° 45' 51.894" N	84° 39' 18.514" E
49	Solga	-do-	Palkot, 49	22° 44' 47.122" N	84° 41' 2.952" E
50	Orvenga	-do-	Palkot, 50	22° 45' 43.989" N	84° 41' 16.113" E
51	Tapkra	-do-	Palkot, 51	22° 46' 49.934" N	84° 41' 46.054" E
52	Khatgoan	-do-	Palkot, 52	22° 46' 17.886" N	84° 43' 14.761" E
53	Bardih	-do-	Palkot, 54	22° 47' 44.769" N	84° 42' 32.344" E
54	Lodhma	-do-	Palkot, 55	22° 48' 7.673" N	84° 41' 7.590" E
55	Deogona	-do-	Palkot, 56	22° 48' 51.861" N	84° 42' 1.728" E
56	Jena	-do-	Palkot, 57	22° 49' 18.795" N	84° 43' 7.890" E
57	Satkhari	-do-	Palkot, 58	22° 50' 51.760" N	84° 43' 54.482" E
58	Rangola	-do-	Palkot, 59	22° 50' 3.981" N	84° 42' 17.425" E
59	Petsera	-do-	Palkot, 60	22° 50' 51.070" N	84° 41' 13.858" E
60	Koijanjali	-do-	Palkot, 61	22° 51' 2.226" N	84° 40' 26.197" E
61	Nathpur	-do-	Palkot, 62	22° 52' 18.109" N	84° 42' 23.040" E
62	Palkot	-do-	Palkot, 63	22° 53' 20.823" N	84° 39' 2.092" E
63	Baghma	-do-	Palkot, 64	22° 56' 23.901" N	84° 38' 58.471" E
64	Gurgura	-do-	Palkot, 65	22° 56' 29.941" N	84° 40' 9.010" E
65	Marda	-do-	Palkot, 66	22° 57' 22.014" N	84° 41' 11.111" E
66	Alengkera	-do-	Palkot, 67	22° 55' 17.316" N	84° 40' 55.734" E
67	Kaimba	-do-	Palkot, 68	22° 54' 17.579" N	84° 42' 3.020" E
68	Bagesera	-do-	Palkot, 69	22° 53' 50.482" N	84° 43' 23.346" E
69	Tengeria	-do-	Palkot, 70	22° 54' 35.776" N	84° 44' 27.994" E
70	Bagesera (Part)	-do-	Palkot, 71	22° 56' 15.155" N	84° 43' 1.505" E
71	Malai	-do-	Palkot, 72	22° 57' 22.239" N	84° 42' 27.422" E
72	Tirra	-do-	Palkot, 73	22° 58' 38.436" N	84° 41' 47.893" E
73	Lodham kotatoli	Raidih	Raidih, 38	22° 58' 14.601" N	84° 32' 59.685" E
74	Lowki	-do-	Raidih, 39	22° 55' 49.379" N	84° 31' 11.704" E
75	Jamgai	-do-	Raidih, 40	22° 54' 46.370" N	84° 32' 2.473" E
76	Piwo	-do-	Raidih, 41	22° 55' 32.084" N	84° 29' 51.972" E
77	Karang	-do-	Raidih, 42	22° 53' 49.806" N	84° 29' 32.102" E
78	Saniakona	-do-	Raidih, 43	22° 53' 54.137" N	84° 28' 23.240" E
79	Salkaya	-do-	Raidih, 44	22° 52' 38.169" N	84° 27' 19.891" E
80	Sursang	-do-	Raidih, 51	22° 51' 15.924" N	84° 25' 49.336" E
81	Kobja	-do-	Raidih, 52	22° 49' 53.095" N	84° 24' 51.166" E
82	Ramja	-do-	Raidih, 58	22° 47' 47.505" N	84° 24' 30.040" E
83	Karmukhi	Simdega	Simdega, 15	22° 46' 11.904" N	84° 25' 52.944" E

84	Ashanbera	-do-	Simdega, 17	22° 47' 27.796" N	84° 26' 58.494" E
85	Godolopani	-do-	Simdega, 18	22° 48' 28.189" N	84° 28' 3.276" E
86	Katasaru	-do-	Simdega, 19	22° 49' 32.319" N	84° 28' 30.826" E
87	Lolenga	-do-	Simdega, 21	22° 48' 24.184" N	84° 29' 45.541" E
88	Kuruskela	-do-	Simdega, 23	22° 46' 35.001" N	84° 30' 37.123" E
89	Serlonga	Pakerdanr	Simdega, 24	22° 46' 45.720" N	84° 32' 40.788" E
90	Sirupardhia	-do-	Simdega, 20	22° 48' 28.570" N	84° 29' 11.160" E

ANNEXURE -V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.